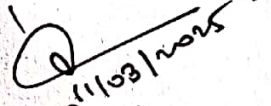


RCMS अतिक्रमण वाद सं०-०३/२२-२३

11.03.2025 संबंधित राजस्व उप निरीक्षक, अंचल निरीक्षक एवं अंचल अमीन का संयुक्त स्थलीय जाँच प्रतिवेदन प्राप्त। जाँचोपरान्त उनके द्वारा संयुक्त रूप से प्रतिवेदित किया गया है कि वादगत भूमि मौजा पौडइया, थाना न० 422, खाता न० 10, प्लॉट न० 35 रकबा 44 डी० के मध्ये 22 डी०, सर्वेनुसार रैयती खाते की भूमि है, जिसका सर्वे खतियान नेहाल चौधरी वगैरह के नाम पर दर्ज है। जिस पर अतिक्रमण वाद चलाया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। अतः वाद की कार्रवाई समाप्त की जा सकती है।

अतः राजस्व उप निरीक्षक, अंचल निरीक्षक एवं अंचल अमीन का संयुक्त स्थलीय जाँच प्रतिवेदन के आलोक में वादगत भूमि रैयती खाते की होने के कारण अभिलेख की कार्रवाई अंतिम रूप से बंद की जाती है।


11/03/2025
अंचल अधिकारी,
जमुआ।

सेवा में

अंचल अधिकारी

जमुआ

विषय:- Revenue case monitoring system (RCMS) में दर्ज
Case No - 03/2022-23 SRVAN KUMAR VS UMESH
THAKUR (Encroachment) अभिलेख के संबंध में।

महोदय

उपरोक्त विषय के संबंध में अंकित करना है
कि भवदीय द्वारा विषयान्वित काद सं०- 03/2022-23 SRVAN
KUMAR VS UMESH THAKUR (Encroachment) case) का मूल
अभिलेख की मांग की जा रही है, जबकि प्रभार सूची
में उक्त अभिलेख पूर्ववर्ती सहायक जी सुधील हांसव,
उपवर्गीय लिपिक के द्वारा मुझे नहीं सौंपा गया है।
(सुलभ प्रसंग है कि प्रभार सूची की व्यापकता संबंध)

मेरे द्वारा कार्यालय में भी उक्त अभिलेख की
काम की खोजबीन की गयी, परन्तु अभिलेख उपलब्ध
नहीं हो सका।

विश्वासभाजन

देवानन्द कुमार वर्मा
उपवर्गीय लिपिक
अंचल कार्यालय
जमुआ

13-02-2025